पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में पेसा पर प्रस्तुति

पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुती

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

भू-जनसांख्यिकीय विशेषताएं

- हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिमी हिमालय में स्थित है।
- हिमालय की गोद में एक पूर्ण पहाड़ी क्षेत्र, प्रदेश में ऊंचाई समुद्र तल से 350 मीटर से 6975 मीटर तक है।

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

हिमाचल एक नज़र में

क्षेत्र	55673 वर्ग कि.मी.
कुल जनसँख्या	68,56,509
ग्रामीण आबादी	90.20%
अनुसूचित जाति	24.72%
अनुसूचित जनजाति	5.71%
साक्षरता दर	83.78% (पुरुष=90.83% महिला=76.60%)

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश का अनुसूचित क्षेत्र

- राज्य का अनुसूचित क्षेत्र कठिन स्थलाकृति और कुछ दुर्गम क्षेत्रों के साथ ग्रेटर हिमालय में स्थित है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होती है और महीनों तक कटा रहता है।

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

जारी.....

- यह जनजातीय आबादी विशाल निर्जन क्षेत्र के साथ कुल आबादी का केवल एक अंश है, जिसे सेब, गुथलीदार, चिलगोजा आदि जैसी कई नकदी फसलें है।

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश का अनुसूचित क्षेत्र

- हिमाचल प्रदेश में 10 अलग-अलग जनजातियां हैं। गद्दी, गुज्जर, लहुआला, स्वांगला, आदि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रमुख जनजातियाँ हैं। राज्य में आदिवासियों की कुल आबादी 5.71% है।

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र

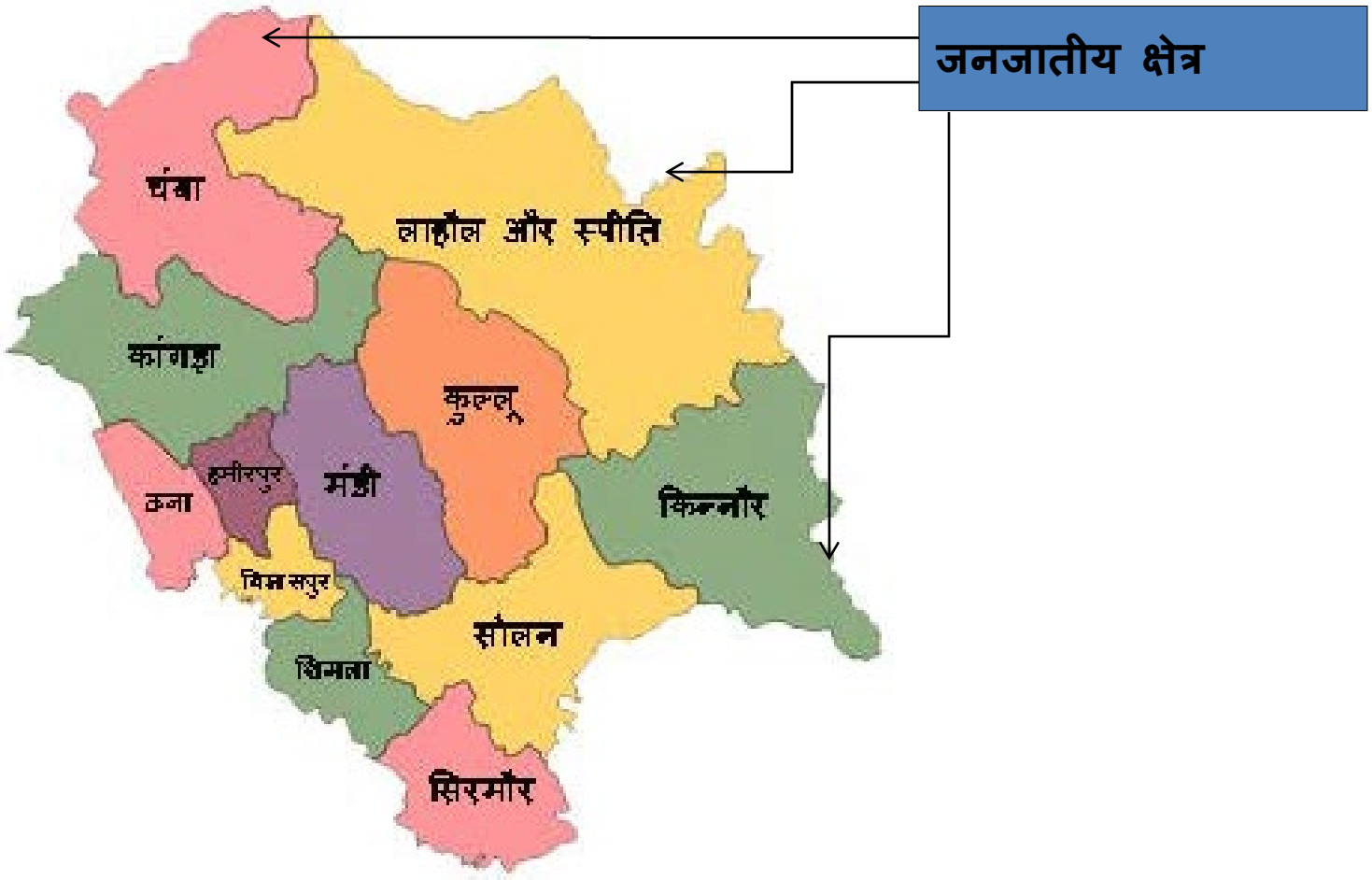

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र जारी...

- दो जिले नामत किन्नौर और लाहौल और स्पीति तथा चंबा जिले के पांगी और भरमौर नामक दो विकास खंड राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हैं।
- हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में किन्नौर और लाहौल और स्पीति नामक 2 जिला परिषद और जिला चंबा का एक हिस्सा है। सात पंचायत समितियां अर्थात् कल्पा, निचार, पूह, लाहौल, स्पीति, भरमौर और पांगी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अनुसूचित - V क्षेत्र में 168 ग्राम पंचायतें हैं

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

अनुसूचित क्षेत्र में ग्रामीण स्थानीय निकायों की स्थिति

क्र.सं.	जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	वार्ड	कुल जनसंख्या
1	किन्नौर	1) पूह 2) कल्प 3) निचार	27 24 22	139 132 118	22343 29361 26630
	उप-योग		73	389	78334
2	लाहौल और स्पीति	1) लाहौल 2) स्पीति	32 13	160 67	22545 10679
	उप-योग		45	227	33224
3	चंबा	1) भरमौर 2) पांगी	31 19	171 97	37246 17598
	उप-योग		50	268	54844
	महायोग		168	884	166402

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

क्या किया गया है

- हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 को पेसा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाने की दृष्टि से अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों से संबंधित विशेष उपबंधों नामक एक नया अध्याय VI-क जोड़ा गया था। इस अध्याय के उपबंध राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों पर लागू किए गए हैं और अधिनियम में कहीं भी असंगत किसी भी चीज पर लागू होंगे।

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

पेसा की स्थिति

- पेसा अधिनियम के अनुसार, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों से संबंधित विशेष प्रावधानों को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में धारा 97-ए से 97-1 तक शामिल किया गया है और इसका अक्षरश पालन किया जा रहा है।
- पेसा अधिनियम के प्रावधानों को सुविधाजनक बनाने के लिए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार] नियम भी बनाए गए हैं और 26 मार्च, 2011 को अधिसूचित किए गए हैं।

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

पेसा की स्थिति जारी...

- राज्य सरकार ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए तीनों स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालयों में 100% आरक्षण प्रदान किया है और कुल कार्यालयों का 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है।
- पूरे जनजातीय क्षेत्र में, ग्राम सभाएं लोगों की परंपराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक सहारा को बिना किसी हानि के किसी भी कानून की रक्षा करने के लिए सक्षम हैं, विवाद समाधान का प्रथागत तरीका है।

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम,

1996 के प्रावधानों का अनुपालन

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

राज्य अधिनियमों में संशोधन

विभाग का नाम	अधिनियम में संशोधन	भाग	विवरण
भू-राजस्व विभाग	हिमाचल प्रदेश भूमि हस्तांतरण (विनियमन) अधिनियम, 1968	धारा 3	**भूमि के हस्तांतरण का विनियमन-** (1) अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी निमत परिसर सहित किसी भूमि में अपने हित को बिक्री, बंधक, पट्टा, उपहार या अन्यथा के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा जो ऐसी जनजातियों से संबंधित नहीं है, जब तक कि राज्य सरकार की लिखित में पूर्व अनुमति न हो:

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

राज्य अधिनियमों में संशोधन

विभाग का नाम	अधिनियम में संशोधन	भाग	विवरण
भू-राजस्व विभाग	हिमाचल प्रदेश भूमि हस्तांतरण (विनियमन) अधिनियम, 1968	धारा 5	**निष्कासन.-** (1) यदि धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी भूमि के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप, किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उस भूमि पर कब्जा करते हुए पाया जाता है, तो उपायुक्त या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, या उचित स्तर पर पंचायतें, धारा 9 के उपबंधों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकती हैं कि वह नोटिस जारी होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर भूमि खाली करे और ऐसी भूमि पर बनाई गई किसी भी इमारत, बाड़ या किसी अन्य संरचना को हटा दे:
उद्योग विभाग	हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) संशोधित नियम, 1971 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत बनाए गए।	नियम 5(4)	संबंधित ग्राम सभा या पंचायत की पूर्व अनुशंसा के बिना अनुसूचित क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कोई खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा।

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

राज्य अधिनियमों में संशोधन

विभाग का नाम	अधिनियम में संशोधन	भाग	विवरण
उद्योग विभाग	हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) संशोधित नियम, 1971 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत बनाए गए।	नियम 28(3)	कोई भी निविदा/नीलामी/संविदा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि सरकार द्वारा अनुमोदित न किया जाए; परन्तु राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के दोहन के संबंध में सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए किसी निविदा या नीलामी या संविदा पर विचार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्राम सभा या पंचायत द्वारा उचित स्तर पर अनुशंसा न की जाए।

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

राज्य अधिनियमों में संशोधन

विभाग का नाम	अधिनियम में संशोधन	भाग	विवरण
वन विभाग			वन विभाग ने दिनांक 28 फरवरी, 2003 के कार्यकारी आदेश द्वारा औषधीय जड़ी-बूटियों और अन्य इमारती लकड़ी वन उत्पादों की 37 प्रजातियों की पहचान की है जिन पर संबंधित पंचायतों को नियंत्रण दिया गया है और संबंधित पंचायत के प्रधान को इन मदों के लिए पास जारी करने और निर्यात शुल्क लगाने का अधिकार दिया गया है जो पंचायत की निधि होगी। इसके अलावा, पंचायतों के प्रधानों को हिमाचल प्रदेश वन उपज पारगमन (भूमि मार्ग) नियम, 1978 के नियम 11 के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए वन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि संबंधित पंचायत में वन से एकत्र किए गए लघु वन उत्पादों के परिवहन के लिए पास जारी किया जा सके।

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण

- जिला लाहौल और स्पीति के लाहुल उप-मंडल को छोड़कर राज्य में जनवरी 2021 के महीने में पंचायती राज संस्थानों के चुनाव आयोजित किए गए थे, जहां अक्टूबर 2021 में चुनाव हुए थे।

- **ईआरएस और अधिकारियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण चल रहा है।**

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

क्षमता निर्माण जारी...

- पेसा के अंतर्गत प्रशिक्षण मॉड्यूल पेसा सामग्री/क्षमता निर्माण पहले ही विकास तैयार किया जा चुका है और सीबीटी कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।
- पेसा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सरल भाषा में पठन सामग्री तैयार की गई है और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के ईआर को वितरित की जाएगी।

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग बजट

- 571% जनजातीय जनसंख्या की तुलना में, राज्य योजना/विकास निधियों का 9% अनुसूचित क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया है।
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 711 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
- वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात 2021-22 के लिए टीएएसपी के अंतर्गत 847 करोड़ रुपये की निधि का बजट रखा गया है।

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

ई-संयोजकता

संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्रों में सभी पंचायत समितियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा प्रदान की गई है और राज्य सरकार की ओर से पंचायत पदाधिकारियों के साथ-साथ पंचायत अधिकारियों सहित जमीनी स्तर के पदाधिकारियों के साथ सीधे चर्चा करने का प्रयास किया जाता है। यह राज्य सरकार और विभाग को सभी महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने और सरकारी स्तर पर नवीनतम विकास के बारे में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को परिचित करने में मदद करेगा।

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

क्या किया जाना बाकी है (भावी राह)

- पेसा सलाहकार की नियुक्ति
- जिला स्तर पर पेसा समन्वयक की नियुक्ति
- पेसा प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर के साथ-साथ जिला स्तर पर संबंधित संगत विभाग के अधिकारियों का प्रशिक्षण
- पेसा क्षेत्र के ईआर और अधिकारियों का क्षमता निर्माण जिसमें पूर्व पदाधिकारी संसाधन व्यक्ति के रूप में शामिल हैं

पंचायती राज विभाग-हिमाचल प्रदेश

भावी राह जारी.....

- जनजातीय अधिकारों के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ ग्राम सभा के सदस्यों को संवेदनशील बनाना
- उच्चतम स्तर पर पेसा कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा
- ईआरएस और ग्राम सभा सदस्यों को पेसा पठन सामग्री का वितरण
- पेसा के उचित कार्यान्वयन में राजस्व, उद्योग, वन, कृषि आदि जैसे विभागों की सक्रिय भागीदारी

धन्यवाद